इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 472] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 नवम्बर 2012—कार्तिक 17, शक 1934

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2012

क्र. डी-15-11-2005-चौदह-3.—यत: राज्य सरकार की राय है कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 2(1)(क) की अनुसूची ''सात''—''फल'' में उल्लेखित अधिसूचित कृषि जिन्स ''केला'' के उत्पादक/किसानों को अधिसूचित मंडी प्रांगण के बाहर उपलब्ध कराई गई विक्रय की सुविधा अंतर्गत उनकी उपज का प्रतिस्पर्धात्मक एवं समुचित मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है.

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) (यथा अभिकथित अधिनियम) की धारा 6 के द्वितीय परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 2(1)(क) की अनुसूची ''सात''—''फल'' में उल्लेखित अधिसूचित कृषि जिन्स ''केला'' का उक्त अधिनियम की धारा 6(ग) में प्रदत्त छूट को प्रत्याहृत करती है.

यह अधिसूचना ''राजपत्र'' में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय पंडित, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2012

क्र. डी-15-11-2005-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 8 नवम्बर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय पंडित, उपसचिव.

Bhopal, the 8th November 2012

No. D-15-11-2005-XIV-3.—WHEREAS, in the opinion of the State Government, the facility provided to producers/farmers of notified agriculture produce "Banana", as defined in the Schedule-Seven-Fruits, of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972, Sectin 2(1)(a), for selling their produce outside the notified market yard, has not resulted in providing them competitive and reasonable price of their produce.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso of Section 6 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) (the Act), the State Government hereby withdraw the exemption as provided under Section 6 clause(c) of the Act, for the notified agriculture produce "Banana" as defined in the Schedule-Seven-Fruits, of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972, Section 2(1)(a)

This notification shall come in to force from the date of publication in "Gazette".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY PANDIT, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.